

दैनिक

लोकमत

जयपुर, बीकानेर-एवं लखनऊ से एक साय प्रकाशित

स्थापित 1947

Lokmat is Resurgent Voice of North West Frontier

DAINIK LOKMAT, JAIPUR, 28/11/2024

साइबर-बुलीड़िंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न- भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ और सखूत कदम उठाने की ज़रूरत : अक्षत खेतान

■ लोकमत, जयपुर

अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लैगल सर्विसेज ने भारत में साइबर-बुलीड़िंग के खुतरे का समाना कर रहे हर व्यक्ति को अनमोल दिलायी बचाने और उसकी लिफ्प्रूफ करने के लिए, साइबर-बुलीड़िंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई गह दिखाने वाली पहल की ज़ुरुआत की है। आज के डिजिटल ज़माने में टेक्नोलॉजी में तो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जनकारी साझा करने के तरीके में बढ़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, टेक्नोलॉजी में इस ज़बरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीड़िंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दिलाजे खेल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी सामाजिक चुनौती के तौर पर उभरकर समान आ रहे हैं। भारत जैसे देश में ये समस्याएँ विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ इंटरनेट के उपयोग में तेज़ी से बढ़ती ही है। परंतु समझने आने वाले खतरों की तुलना में इसे नियमों के दायरे में लाने वाली व्यवस्था और जागरूकता काफ़ी पीछे है। इस प्रौढ़े पर, कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लैगल सर्विसेज (एल्स) के संस्थापक, अक्षत खेतान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत श्री-धीरे



डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए साइबर-बुलीड़िंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न को वजह से सामने आने वाले खतरों को अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत इस मुद्रे के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानूनी दृष्टि तैयार करके, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ावद और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूत करके, इन ऑफलाइन खतरों के खानिकारक प्रभावों को

कम करने की शुरुआत कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहा। अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों के अनसार, राजस्थान में हाल साल साइबर घोटालों के लाभाग 77769 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगातार बढ़ रहे। इस समस्या पर कानूनी उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एल्सिंगों को हालात से उबरने में मदद करने के लिए युवा स्लाउकर्स की सेवा उपलब्ध कराएगा, साइबर अपराध पुलिस टीम की मदद करेगा, कानूनी मार्गदर्शन और सहायत प्रदान करेगा, साथ ही पूरे राजस्थान के कौलेजों तथा विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बढ़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रमों एवं सामाजिक अभियानों का संचालन भी करेगा। इसके अलावा, समाज को इस समस्या के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, छूटों और से सेमिनार, सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं, केस स्टडी के विश्लेषण, रोड-शो, वॉकथॉन, कैंफ्रॉन-लाइट मार्च, स्किट, कला प्रदर्शनी, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। अक्षत खेतान निम्नलिखित विधियों पर भी ध्यान देने में योकीन रखते हैं, जो देश में कानूनी परिस्थितियों में बदलाव लाने के विषय से बढ़द महत्वपूर्ण हैं। दिवाला एवं दिवालियापान नियमावली-दृष्टि में

कई संशोधन किए जाने हैं। अब यह कानून निर्माताओं को तय करना होगा कि, विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है या नहीं। आखिरकार, कारोबार को जारी रखने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही इसे बनाया गया था। परंतु दृष्टि का मौजूदा स्वरूप घरेलू या विदेशी निवेशकों के बीच बहुत अधिक भरोसा करना में सक्षम नहीं है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले-दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि, हमारे देश में जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की सूची में शीर्ष पर मौजूद 50 लोगों के पास भारतीय बैंकों का 9,2570 करोड़ रुपये बकाया है। अर्थशास्त्रियों द्वारा जानबूझकर कर्ज न चुकाने के यामलों पर अधिक ध्यान नहीं देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि, इस तरह के मामले सिर्फ भारत से संबंधित हैं और हाल के दिनों तक ज्वालातर अर्थिक शोध मुख्य रूप से अमेरिका पर केन्द्रित होते हैं। लिहाजा इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि, अर्थशास्त्र एवं फ़िनेंस के क्षेत्र में जानबूझकर कर्ज न चुकाने के मामलों पर शोध को काफ़ी ढ़ेर तक नज़रअंदाज किया जाया है। लेकिन इस तरह की प्रासादिक और बेहद गंभीर अर्थिक समस्या पर ध्यान में ऐसा अल्प-निवेश सञ्चालन भारत के शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय लेना चाहिए। भारतीय उद्योग जगत के लिए खुशी की बात यह है।